

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**  
**आदेश**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत निम्नांकित पणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षकों को जिन्हें क्रमशः आदेश ज्ञापांक- 5122 दिनांक- 09.10.2017, आदेश ज्ञापांक- 4200 दिनांक- 22.08.2017 शुद्धि पत्र ज्ञापांक- 5426 दिनांक- 23.10.2017, आदेश ज्ञापांक- 4618 दिनांक- 14.09.2017 एवं आदेश ज्ञापांक- 4989 दिनांक- 04.10.2017 से निलम्बन से मुक्त किया गया है को सचिवालय मुख्यालय में योगदान स्वीकृत करने के पश्चात् उनके नाम के सामने कंडिका-5 में अंकित प्रखंड/स्थान/जिला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है ।

क्रमांक	पणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन सचिवालय मुख्यालय में योगदान की तिथि	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री उमेश चन्द्र उपाध्याय, पणन पदाधिकारी	भोजपुर	दिनांक- 10.10. 2017	पणन पदाधिकारी, प्रखंड- मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण
2	श्री राजीव रंजन, आपूर्ति निरीक्षक	नालन्दा	दिनांक- 21.09. 2017	आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड- भितहाँ, प0 चम्पारण
3	श्री रामाशंकर सिंह, आपूर्ति निरीक्षक	उत्तर प्रदेश	दिनांक- 22.09. 2017	आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड- कटरा, मुजफ्फरपुर
4	श्री प्राणनाथ मुन्ना, आपूर्ति निरीक्षक	नालन्दा	दिनांक- 09.10. 2017	आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड- दरभंगा शहरी, दरभंगा

2. उपर्युक्त पणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक नव पदस्थापित स्थान पर अविलंब योगदान करना सुनिश्चित करेंगे ।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/-  
(चन्द्रशेखर)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- प्र03-स्था0-02-01/2017 6159

खाद्य, पटना/दिनांक- 04-12-17

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप निदेशक (खाद्य)/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित पणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

*Shee*  
सरकार के अपर सचिव ।